

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग-I

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव की ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक- FP/CG/OFC/139649/2021

1	परियोजना विवरण	
i	अपेक्षित वनभूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना /स्कीम का संक्षिप्त विवरण	कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत पोण्डी-छ.ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया-कुई, बैरख-नेवराटोला, कुई-महुली, चिल्फी-तरमा, तरमा-सहसपुर लोहारा, खाड़ी-दमोह, लाखाटोला-पालक, मोहगांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.658 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 2.985 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.391 हेक्टेयर कुल 5.034 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत उपयोग पर दिए जाने की मांग की जाती है । इस कार्य से कवर्धा, पंडरिया, बोडला एवं सहसपुर लोहारा तहसील अंतर्गत स्थित लगभग 90 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन-देने में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा ।
ii	1:50000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	मानचित्र संलग्न है ।
iii	परियोजना की कुल लागत	580 लाख रुपये
iv	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य ।	कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत पोण्डी-छ.ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया-कुई, बैरख-नेवराटोला, कुई-महुली, चिल्फी-तरमा, तरमा-सहसपुर लोहारा, खाड़ी-दमोह, लाखाटोला-

		पालक, मोहगांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिल फाईबर केबल बिछाने के कार्य में माँग की जा रही वन भूमि सड़क राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी । अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वन भूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी ।
v	लागत लाभ विश्लेषण वित्तीय तथा सामाजिक लाभ(संलग्न किए जाने के लिए)	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन, मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश क्रमांक/7-9/2011-FC (Pt) नई दिल्ली दिनांक 01.08.2017 के अनुसार 20 हेक्टेयर से कम वनक्षेत्र व्यपवर्तन में आवश्यकता नहीं है ।
vi	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।	कवर्धा, पंडरिया, बोडला एवं सहसपुर लोहारा तहसील अंतर्गत स्थित लगभग 90 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में निवासरत लगभग 80000 लोग लाभान्वित होंगे, साथ ही 1200 मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा तथा 100-110 बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त होंगे
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण	सड़क समानांतर राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत आर्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 5.034 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है ।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है ।	वन भूमि में कोई भी व्यक्ति निवासरत नहीं है एवं वन भूमि से कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार विस्थापित नहीं होगा ।
i	परिवारों की संख्या	निरंक
ii	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
iii	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)	चूँकि विस्थापन नहीं किया जा रहा है, इसलिए जानकारी निरंक है ।
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के	भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के

	अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)	अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 नई दिल्ली दिनांक 14.09.2006 के अनुसार अनुसूची में छूट प्रदान की गई है, इसलिए आवश्यक नहीं है ।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता(वचनबद्धता संलग्न की जाए)	चूँकि प्रस्तावित कार्य सड़क राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत पूर्व डायवर्टेड भूमि के अंदर ही किया जाना है, अतएव पृथक से वनभूमि डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है । अतएव पुनः वनीकरण की वचनबद्धता आवश्यक नहीं है ।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा	संलग्न है ।

चूड़ामणि सिंह (भा.व.से.)

Divisional Forest Officer

Kanwarina Division



(अमर कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कापो. अफेयर्स)

जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/OFC/139649/2021

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कबीरधाम
(iii)	वन प्रभाग	कवर्धा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	5.034 हेक्टेयर
(v)	वन वैधानिक स्थिति	आरक्षित, संरक्षित एवं राजस्व वनभूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल.एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर. एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यक नहीं है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	आवश्यक नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वन क्षेत्र से गुजर रही है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाये)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	हाँ, न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं, कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	आवश्यक नहीं है।

	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यक नहीं है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।	आवश्यक नहीं है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	आवश्यक नहीं है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यक नहीं है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यक नहीं है।
5	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	आवश्यक नहीं है।
6	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	
	(ii) जिले का वनक्षेत्र	
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप-वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : - 03/11/2022

स्थान : - कवर्धा

चूड़ाभणि सिंह
(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल, कवर्धा

प्रपत्र-3

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर

वनसंरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/139649/2021

1.	परियोजना का नाम	कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत पोण्डी-छ. ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया- कुई, बैरख- नेवराटोला, कुई- महुली, चिल्फी- तरमा, तरमा- सहसपुर लोहारा, खाड़ी- दमोह, लाखाटोला- पालक, मोहगांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे (RoW) अंतर्गत आर्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु।		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	5.034 हेक्टेयर		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		कबीरधाम	कवर्धावनमंडल	पोण्डी-छ.ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया-कुई, बैरख-नेवराटोला, कुई-महुली, चिल्फी-तरमा, तरमा-सहसपुर लोहारा, खाड़ी-दमोह, लाखाटोला-पालक, मोहगांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वनखण्ड	कक्ष/खसरा क्रमांक	आवेदित रकबा (हे. में)
	क. संरक्षित वनभूमि	बोड़ला	PF 315	0.089
		चौरभट्टी	PF 313	0.031
		कमराखोल	FDC 1405	0.135
		कमराखोल	FDC 1397	0.036
		माचापानी पार्ट	PF 310	0.068
		नेऊर	PF 445	0.007
		नेऊर	PF 454	0.214
		नेऊर	PF 458	0.206
		नेऊर	PF 467	0.079
		नेऊर	PF 466	0.024
		नेऊर	PF 466	0.086
		नेऊर	PF 452	0.142
		नेऊर	PF 453	0.040
		बरेंडीपानी	PF 342	0.126
		रोल	PF 353	0.032
		बानो	PF 301	0.025
		घटोला दक्षिण	PF 203	0.116
		मोहनपुर	PF 298	0.042
		मोहनपुर	PF 298	0.064
		तेलीपारा	PF 265	0.035
		तेलीपारा	PF 264	0.051

	घटोला द.	PF 192	0.105
	सहसपुर लोहारा	PF 244	0.038
	सहसपुर लोहारा	PF 245	0.058
	सहसपुर लोहारा	PF 193	0.074
	सहसपुर लोहारा	PF 245	0.110
	लावा पार्ट	PF 179	0.095
	रामपुर	PF 364	0.185
	रोल	PF 353	0.051
	मोहनटोला पार्ट	PF 176	0.048
	उसरवाही	PF 173	0.018
	मोतिमपुर	PF 291	0.101
	नवागांव	PF 267	0.022
	जुनवानी	PF 266	0.051
	घटोला दक्षिण	PF 189	0.042
	सोनझरी	PF 277	0.030
	रानीदहरा	PF 283	0.022
	रानीदहरा	PF 283	0.008
	लिलारी	PF 401	0.036
	लब्दा	FDC 412	0.021
	लब्दा	FDC 414	0.133
	रब्दा	PF 416	0.012
	नेऊर	PF 446	0.047
	नेऊर	PF 447	0.030
	योग :-		2.985
ख. आरक्षित वनभूमि	बंजारी	RF 65	0.157
	बंजारी	RF 64	0.008
	बंजारी	RF 63	0.082
	बंजारी	RF 64	0.007
	बंजारी	RF 62	0.154
	बंजारी	RF 64	0.037
	रेंगाखार	RF 125	0.104
	रेंगाखार	RF 124	0.145
	रेंगाखार	RF 112	0.153
	रेंगाखार	RF 139	0.061
	रेंगाखार	RF 128	0.122
	मुड़वाही	RF 138	0.063
	रेंगाखार	RF 137	0.201
	रेंगाखार	RF 135	0.119
	दलदली	RF 23	0.082
	दलदली	RF 27	0.011
	दलदली	RF 25	0.031
	दलदली	RF 28	0.054
	दलदली	RF 28	0.067
	योग :-		1.658
ग. राजस्व वनभूमि		228	0.002
		254	0.016
		179/1क	0.012
		1/1	0.047
		352/1/क	0.011
		352/1/क	0.030
		182	0.006

		49	0.011
		1/1	0.058
		163	0.011
		163	0.005
		23/1	0.011
		23	0.004
		2	0.042
		1	0.061
		1	0.016
		1	0.048
		योग :-	0.391
		महायोग :-	5.034
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	आवेदित क्षेत्र मिश्रित वन है, प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ-वे के सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है।	
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ-वे के सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है। उक्त कार्य में वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है, अतः वृक्षों के विवरण की आवश्यकता नहीं है।	
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति।	सामान्य है।	
9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	-	
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदन करें।	प्रस्तावित ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर विद्यमान राईट ऑफ-वे के सीमा के अंतर्गत ही किया जाना है, अतः अन्य कोई विकल्प नहीं है।	
11.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	नहीं किया गया है	

प्रमाण-पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि के गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- कवर्धा

दिनांक :- 03/11/2022

पूजा मणि सिंह (भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल, कवर्धा